रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01042020-218990
CG-DL-E-01042020-218990

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 84] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 1, 2020/चैत्र 12, 1942
No. 84] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 1, 2020/CHAITRA 12, 1942

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(आईपीएचडब्ल्यू प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 2020

विषय: बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना (पीएलआई)

1. **पृष्ठभूमि**

सं. W-28/1/2019-आईपीएचडब्ल्यू- एमईआईटीवाई.—1.1 इलेक्ट्रॉनिकी अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में व्याप्त है और इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग का प्रतिस्पर्धी (क्रॉस-कटिंग) आर्थिक और रणनीतिक महत्व है । भारत में इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण पिछले 4 वर्षों के दौरान लगभग 25% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) के साथ तेजी से बढ़ा है। हालांकि, यह विकास के लिए वास्तविक क्षमता की तुलना में कम है, जो कि बड़े पूंजी निवेश और प्रौद्योगिकी में तेजी से बदलाव जैसी विशिष्ट बाधाओं से प्रभावित होता है। सरकार विनिर्माण क्षेत्र में बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए विनिर्माण के लिए अनुकूल वातावरण बनाने और अन्य देशों में प्रस्तावित किए गए प्रोत्साहनों के समान प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है।

1.2 वैश्विक इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण में भारत की हिस्सेदारी वर्ष 2012 में लगभग 1.3% से बढ़कर वर्ष 2018 में 3.0% हो गई है। इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर का घरेलू उत्पादन वर्ष 2014-15 में ₹1,90,366

करोड़ (29 बिलियन अमरीकी डालर) से बढ़कर वर्ष 2018-19 में ₹4,58,00,000 करोड़ (70 बिलियन अमरीकी डालर) हो गया है । घरेलू इलेक्ट्रॉनिकी हार्डवेयर के लिए मांग में तेजी से वृद्धि अर्थात वर्ष 2025 तक लगभग 400 अरब अमरीकी डालर (लगभग ₹26, 00,000 करोड़) होने की उम्मीद के साथ भारत इलेक्ट्रॉनिकी के मद में आयात के कारण तेजी से बढ़ रहे विदेशी मुद्रा बहिर्गमन को वहन नहीं कर सकता है।

1.3 अन्य योजनाओं के तहत इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण के लिए अपेक्षित सीमित राहत के बावजूद, अन्य बड़ी विनिर्माण अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में विनिर्माण क्षेत्र की इन कमियों को दूर करने के लिए एक मेकेनिज्म की जरुरत है।

1.4 **उभरते हुए अवसरों के साथ समान स्तर:** इलेक्ट्रॉनिकी हार्डवेयर विनिर्माण क्षेत्र को प्रतिस्पर्धा करने वाले देशों के साथ असमान स्तर की कमी का सामना करना पड़ता है। उद्योग (आईसीईए और एलीसिना) के अनुमान के अनुसार इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्षेत्र पर्याप्त अवसंरचना, घरेलू आपूर्ति श्रृंखला और रसद; वित्त की उच्च लागत; गुणवत्तायुक्त विद्युत की अपर्याप्त उपलब्धता; सीमित डिजाइन क्षमताओं की कमी और उद्योगों के द्वारा अनुसंधान और विकास पर कम ध्यान केंद्रित करने के कारण लगभग 8.5% से 11% की कमी से जूझ रहा है ।

1.5 **इलेक्ट्रॉनिकी पर राष्ट्रीय नीति (एनपीई 2019)** : **एनपीई 2019** का लक्ष्य चिपसेट सहित मुख्य संघटकों को विकसित करने और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए उद्योगों के लिए सक्षम वातावरण बनाने हेतु देश में क्षमताओं को प्रोत्साहित और संचालित करके भारत को इलेक्ट्रॉनिकी सिस्टम डिजाइन एंड विनिर्माण (ईएसडीएम) के लिए वैश्विक हब के रूप में स्थापित करना है।

2. **उद्देश्य** : बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना (पीएलआई) घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और अर्धचालक पैकेजिंग सहित इलेक्ट्रॉनिकी मूल्य श्रृंखला में बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए एक वित्तीय प्रोत्साहन का प्रस्ताव करती है।

3. **प्रोत्साहन की मात्रा** : इस योजना के अंतर्गत पात्र कंपनियों को यथा परिभाषित आधार वर्ष के बाद पांच (5) वर्ष की अवधि के लिए पैरा 7 में यथापरिभाषित भारत में विनिर्मित और लक्षित खंडों में शामिल वस्तुओं की **उत्तरोत्तर बढ़ती बिक्री (आधार वर्ष पर) पर 4% से 6% तक का प्रोत्साहन** दिया जाएगा।

4. **लक्षित खंड :** यह योजना केवल **लक्ष्य खंडों यानी मोबाइल फोन और विनिर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक संघटकों के** लिए लागू होगी (जैसा कि ***अनुबंध-ख*** में विस्तार से दिया गया है) ।

5. **पात्रता** : योजना के तहत सहायता **केवल भारत में लक्षित खंडों के निर्माण में लगी कंपनियों को ही प्रदान की जाएगी।** इसमें एफडीआई नीति परिपत्र 2017 में यथापरिभाषित अनुबंधित विनिर्माता शामिल होंगे ।

5.1 प्रत्येक आवेदन लक्ष्य खंडों में से एक (1) तक ही सीमित होगा।

5.2 पात्रता बढ़े हुए निवेश और निर्मित वस्तुओं की वृद्धिशील बिक्री (जैसा कि व्यापार के सामान से अलग है) की सीमा के अधीन होगी। एक आवेदक को प्रोत्साहन के संवितरण के लिए पात्र होने के लिए सभी सीमा शर्तों को पूरा करना अनिवार्य होगा। अर्हता सीमा मानदंड ***अनुबंध-क*** में विस्तार से दिए गए हैं ।

5.3 उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना के तहत पात्रता किसी अन्य योजना के तहत पात्रता और विलोमत: को प्रभावित नहीं करेगी।

6. **योजना का कार्यकाल:** योजना के तहत सहायता **आधार वर्ष के बाद पांच (5) वर्ष की अवधि के** लिए प्रदान की जाएगी **जैसा कि पैरा 7 में परिभाषित किया गया है** ।

6.1 यह योजना आवेदन प्राप्त करने के लिए शुरू में 4 महीने की अवधि के लिए खुली रहेगी, जिसे बढ़ाया जा सकता है ।

6.2 उद्योग से प्रतिक्रिया के आधार पर योजना को किसी भी समय आवेदन के लिए फिर से खोला जा सकता है ।

6.2.1 आरंभिक आवेदन की अवधि के बाद प्राप्त आवेदनों के लिए आवेदक केवल योजना के शेष कार्यकाल के लिए प्रोत्साहन हेतु पात्र होंगे।

7. **आधार वर्ष:** उत्तरोत्तर निवेश की गणना और निर्मित माल (व्यापार के सामान से अलग) की उत्तरोत्तर बिक्री के लिए **वित्तीय वर्ष 2019-20 को आधार वर्ष के रूप में माना जाएगा** ।

8. **प्रोत्साहन परिव्यय**

8.1 **कुल प्रोत्साहन**: योजना के तहत अपेक्षित वार्षिक प्रोत्साहन परिव्यय और संचयी प्रोत्साहन परिव्यय इस प्रकार है:

वित्तीय वर्ष	**कुल प्रोत्साहन**
	₹ करोड़ रु
वर्ष 1	5334
वर्ष 2	8064
वर्ष 3	8425
वर्ष 4	11,488
वर्ष 5	7640
कुल	**40,951**

8.2 **प्रति कंपनी प्रोत्साहन**: अधिकार प्राप्त समिति द्वारा तय की गई **सीलिंग के** आधार पर आधार वर्ष से प्रति कंपनी प्रोत्साहन विनिर्मित माल (ट्रेडेड माल से अलग) की उत्तरोत्तर बिक्री पर लागू होगा ।

9. **संगणना का आधार**

9.1 विभागों और मंत्रालयों/एजेंसियों और सांविधिक लेखापरीक्षक के संलग्न प्रमाणपत्रों के साथ प्रस्तुत किए गए विवरणों के आधार पर उत्तरोत्तर निवेश और निर्मित वस्तुओं की बिक्री का आकलन किया जाएगा।

9.2 संबंधित विभागों/मंत्रालयों के परामर्श से एमईआईटीवाई द्वारा कार्यात्मक दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे।

अनुमोदन और संवितरण प्रक्रिया

10.1 योजना के तहत आवेदन भारत में पंजीकृत किसी भी कंपनी द्वारा किया जा सकता है।

10.2 सभी पहलुओं में पूर्ण एक प्रारंभिक आवेदन नियत तारीख से पहले जमा करना होगा। आवेदन की प्रारंभिक जांच के बाद पावती जारी की जाएगी। पवाती को पीएलआई योजना के तहत अनुमोदन के रूप में नहीं लिया जाएगा।

10.3 पात्र आवेदनों का निरंतर आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा और अनुमोदन के लिए विचार किया जाएगा ।

10.4 ऐसे पात्र आवेदकों को प्रोत्साहन जारी किया जाएगा, जो आवश्यक थ्रेसहोल्ड को पूरा कर रहे हैं और जिनके संवितरण दावे सही पाए जाते हैं।

10.5 योजना के तहत प्रोत्साहन 01.08.2020 से लागू होगा।

11. नोडल एजेंसी

11.1 यह योजना एक नोडल एजेंसी के माध्यम से लागू की जाएगी।

11.2 इस तरह की नोडल एजेंसी एक परियोजना प्रबंधन एजेंसी (पीएमए) के रूप में कार्य करेगी और समय-समय पर एमईआईटीवाई द्वारा सौंपे गए सचिवीय, प्रबंधकीय और कार्यान्वयन संबंधी कार्यों के लिए सहायता प्रदान करने और अन्य जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए जिम्मेदार होगी । पीएमए के विस्तृत गठन, कामकाज और जिम्मेदारियों के बारे में विस्तृत जानकारी योजना संबंधी दिशानिर्देशों में दी जाएगी।

11.3 पीएलआई योजना के कार्यान्वयन से संबंधित गतिविधियों को संचालित करने के लिए पीएमए अन्य बातों के साथ साथ निम्नलिखित के लिए जिम्मेदार होगी:

11.3.1 योजना के तहत समर्थन के लिए आवेदनों का मूल्यांकन और पात्रता का सत्यापन

11.3.2 योजना के तहत प्रोत्साहन के वितरण के लिए योग्य दावों की जांच

11.3.3 योजना की प्रगति और प्रदर्शन के संबंध में आंकड़ों का संकलन जिसमें स्कीम के तहत कंपनियों के लिए निर्मित सामानों की वृद्धि और निवेश की बिक्री शामिल है।

12. अधिकार प्राप्त समिति (ईसी)

12.1 सी ई ओ, नीति आयोग, सचिव, आर्थिक कार्य मंत्रालय, सचिव व्यय विभाग, सचिव, एमईआईटीवाई, सचिव राजस्व विभाग, सचिव डीपीआईआईटी और डीजीएफटी को शामिल करते हुए एक अधिकार प्राप्त समिति (ईसी) गठित की जाएगी।

12.2 अधिकार प्राप्त समिति (ईसी) अनुमोदन के लिए योजना के तहत परियोजना प्रबंधन एजेंसी द्वारा पात्र पाए आवेदनों पर विचार करेगी।

12.3 अधिकार प्राप्त समिति (ईसी) निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संवितरण के लिए परियोजना प्रबंधन एजेंसी द्वारा जांच और सिफारिश किए गए दावों पर विचार करेगी।

12.4 अधिकार प्राप्त समिति (ईसी) योजना के तहत पात्र कंपनियों की उनके निवेश, रोजगार सृजन, उत्पादन और मूल्यवर्धन के संबंध में समय-समय पर समीक्षा करेगी।

12.5 योजना के कार्यकाल के दौरान अधिकार प्राप्त समिति (ईसी) द्वारा प्रोत्साहन की दरों, सीमाओं, लक्षित खंडों और पात्रता मानदंड को संशोधित किया जा सकता है।

12.6 योजना दिशानिर्देशों में कोई संशोधन करने के लिए अधिकार प्राप्त समिति (ईसी) को भी अधिकृत किया जाएगा।

12.7 योजना के दिशानिर्देशों में अधिकार प्राप्त समिति (ईसी) के विस्तृत गठन, कार्यप्रणाली और जिम्मेदारियों को विस्तार से बताया जाएगा।

सौरभ गौड़, संयुक्त सचिव

अनुबंध-क

पात्रता थ्रेसहोल्ड मानदंड

खंड	**प्रस्तावित प्रोत्साहन दर**	**आधार वर्ष से उत्तरोत्तर निवेश**	**आधार वर्ष से विनिर्मित वस्तुओं की उत्तरोत्तर बिक्री**
मोबाइल फोन (चालान का मूल्य ₹15,000 और अधिक)*	वर्ष 1: 6% वर्ष 2: 6% वर्ष 3: 5% वर्ष 4: 5% वर्ष 5: 4%	₹1,000 करोड़ 4 वर्ष से अधिक संचयी न्यूनतम (करोड़): वर्ष 1: 250 वर्ष 2: 500 वर्ष 3: 750 वर्ष 4: 1,000	वर्ष 1: ₹4,000 करोड़ वर्ष 2: ₹8,000 करोड़ वर्ष 3: ₹15,000 करोड़ वर्ष 4: ₹20,000 करोड़ वर्ष 5: ₹25,000 करोड़
मोबाइल फोन (घरेलू कम्पनियां) **		₹200 करोड़ 4 वर्ष से अधिक संचयी न्यूनतम (करोड़): वर्ष 1: 50 वर्ष 2: 100 वर्ष 3: 150 वर्ष 4: 200	वर्ष 1: ₹500 करोड़ वर्ष 2: ₹1,000 करोड़ वर्ष 3: ₹2,000 करोड़ वर्ष 4: ₹3,500 करोड़ वर्ष 5: ₹5,000 करोड़
निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक घटक (***अनुबंध-ख*** में विस्तार से दिए अनुसार)		₹100 करोड़ 4 वर्ष से अधिक	वर्ष 1: ₹100 करोड़ वर्ष 2: ₹200 करोड़ वर्ष 3: ₹300 करोड़ वर्ष 4: ₹450 करोड़

खंड	प्रस्तावित प्रोत्साहन दर	आधार वर्ष से उत्तरोत्तर निवेश	आधार वर्ष से विनिर्मित वस्तुओं की उत्तरोत्तर बिक्री
		संचयी न्यूनतम (करोड़): वर्ष 1: 25 वर्ष 2: 50 वर्ष 3: 75 वर्ष 4: 100	वर्ष 5: ₹600 करोड़

*पात्रता के लिए, चालान मूल्य पर ध्यान दिए बिना, निर्मित वस्तुओं की सभी उत्तरोत्तर बिक्री (लक्षित खंडों के तहत शामिल) पर विचार किया जाएगा।

**घरेलू कंपनियों को ऐसी कंपनियों के रूप में परिभाषित किया जाएगा जो वर्ष 2017 के एफडीआई के नीतिगत परिपत्र में परिभाषित भारतीय नागरिकों के स्वामित्व में हैं। किसी भी कंपनी को निवासी भारतीय नागरिकों के 'स्वामित्व' वाली कंपनी के रूप में तब माना जाता है जब इसमें 50% से अधिक पूंजी किसी निवासी भारतीय नागरिकों और/या भारतीय कंपनियों के पास होती है, जो अंततः किसी निवासी भारतीय नागरिकों के स्वामित्व और नियंत्रण में होती हैं।

अनुबंध-ख

पीएलआई योजना के तहत पात्र इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की सूची

क्र.सं.	माल (वस्तुओं) का विवरण
1.	एसएमटी संघटक
2.	ट्रांजिस्टर, डायोड, थाइरिस्टर आदि सहित डिस्क्रीट अर्धचालक उपकरण ।
3.	इलेक्ट्रॉनिक अनुप्रयोगों के लिए प्रतिरोधक, कैपेसिटर आदि सहित निष्क्रिय संघटक ।
4.	मुद्रित सर्किट बोर्ड (पीसीबी), पीसीबी लेमिनेट, प्रीप्रेज, फोटोपोलिमार फिल्में, पीसीबी मुद्रण स्याही ।
5.	इलेक्ट्रॉनिक अनुप्रयोगों के लिए सेंसर, ट्रांसड्यूसर, एक्चुएटर, क्रिस्टल ।
6.	पैकेज में प्रणाली (एसआईपी) ।
7.	माइक्रो/नैनो-इलेक्ट्रॉनिक संघटक जैसे माइक्रो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम्स (एमईएमएस) और नैनो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम्स (एनईएमएस) ।
8.	असेंबली, परीक्षण, मार्क आईएनजी और पैकेजिंग (एटीएमपी) इकाइयां ।

MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(IPHW DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st April, 2020

Subject: Production Linked Incentive Scheme (PLI) for Large Scale Electronics Manufacturing

1. **Background**

No. W-28/1/2019-IPHW-MeitY.—1.1. Electronics permeate all sectors of the economy and the electronics industry has cross-cutting economic and strategic importance. In India, electronics manufacturing has grown rapidly with a CAGR of around 25% during the last 4 years. However, this pales in comparison to the actual potential for growth which is curtailed by specific constraints such as large capital investments and rapid changes in technology. The Government has been actively working to create a conducive environment for manufacturing and to offer incentives comparable with those offered in other countries to attract large investments into the manufacturing sector.

1.2. India's share in global electronics manufacturing has grown from 1.3% in 2012 to 3.0% in 2018. The domestic production of electronics hardware has increased substantially from INR 1,90,366 crore (USD 29 billion) in 2014-15 to INR 4,58,006 Crore (USD 70 billion) in 2018-19. With the domestic demand for electronics hardware expected to rise rapidly to approximately INR 26, 00,000 crore (USD 400 billion) by 2025, India cannot afford to bear the rapidly increasing foreign exchange outgo on account of import of electronics.

1.3. Given the limited relief expected for the electronics manufacturing sector under other schemes, there is need for a mechanism to compensate for the manufacturing disabilities vis-à-vis other major manufacturing economies.

1.4. **Level playing field with emerging opportunities:** The electronics hardware manufacturing sector faces the lack of a level playing field vis-à-vis competing nations. As per industry estimate (ICEA and ELCINA), electronics manufacturing sector suffers from a disability of around 8.5% to 11% on account of lack of adequate infrastructure, domestic supply chain and logistics; high cost of finance; inadequate availability of quality power; limited design capabilities and focus on R&D by the industry; and inadequacies in skill development.

1.5. **National policy on electronics (NPE 2019)**: The vision of NPE 2019 is to position India as a global hub for Electronics System Design and Manufacturing (ESDM) by encouraging and driving capabilities in the country for developing core components, including chipsets, and creating an enabling environment for the industry to compete globally.

2. **Objective**: The Production Linked Incentive Scheme (PLI) for Large Scale Electronics Manufacturing proposes a financial incentive to boost domestic manufacturing and attract large investments in the electronics value chain including electronic components and semiconductor packaging.

3. **Quantum of Incentive**: The Scheme shall extend an **incentive of 4% to 6%** on **incremental sales (over base year) of goods manufactured in India and covered under target segments**, to eligible companies, **for a period of five (5) years subsequent to the base year** as defined in Para 7.

4. **Target Segments:** The Scheme shall only be applicable for **target segments namely mobile phones and specified electronic components** (as detailed in ***Annexure B***).

5. **Eligibility**: Support under the Scheme **shall be provided only to companies engaged in manufacturing of target segments in India.** This shall include contract manufacturers as defined in the FDI Policy Circular of 2017.

5.1. Each application shall be limited to one (1) of the target segments.

5.2. Eligibility shall be subject to thresholds of incremental investment and incremental sales of manufactured goods (as distinct from traded goods). An applicant must meet all the threshold conditions to be eligible for disbursement of incentive. Eligibility threshold criteria are detailed in ***Annexure A***.

5.3. Eligibility under Production Linked Incentive scheme shall not affect eligibility under any other Scheme and vice-versa.

6. **Tenure of the Scheme:** Support under the Scheme shall be provided for a **period of five (5) years subsequent to the base year as defined in Para 7**.

6.1. The Scheme shall be open for applications for a period of 4 months initially which may be extended.

6.2. The Scheme may also be reopened for applications anytime during its tenure based on response from the industry.

6.3. For applications received post the initial application period, applicants shall only be eligible for incentives for the remainder of the Scheme's tenure.

7. **Base Year: Financial Year 2019-20 shall be treated as the base year** for computation of incremental investment and incremental sales of manufactured goods (as distinct from traded goods).

8. **Incentive Outlay**

8.1 Total Incentive: The expected annual incentive outlay and cumulative incentive outlay under the Scheme is as follows:

Financial Year	**Total Incentive**
	INR Crore
Year 1	5,334
Year 2	8,064
Year 3	8,425
Year 4	11,488
Year 5	7,640
Total	**40,951**

8.2. **Incentive Per Company**: The incentive per company will be applicable on incremental sales of manufactured goods (as distinct from traded goods) over base year **subject to ceilings** as decided by the Empowered Committee.

9. **Basis of Computation**

9.1. Assessment of incremental investment and sales of manufactured goods shall be based on details furnished to the Departments / Ministries / Agencies and Statutory Auditor certificates.

9.2. Functional Guidelines will be issued by MeitY in consultation with concerned Departments / Ministries.

10. **Approval and Disbursement Process**

10.1. Application under the Scheme can be made by any company registered in India.

10.2. An initial application, complete in all aspects, will have to be submitted before the due date. Acknowledgement will be issued after initial scrutiny of the application. The acknowledgement shall not be construed as approval under PLI Scheme.

10.3. Eligible applications will be appraised on an ongoing basis and considered for approval.

10.4. Incentive shall be released to eligible applicants, meeting the required thresholds and whose disbursement claims are found to be in order.

10.5. Incentives under the Scheme will be applicable from 01.08.2020.

11. **Nodal Agency**

11.1. The Scheme shall be implemented through a Nodal Agency.

11.2. Such Nodal Agency shall act as a Project Management Agency (PMA) and be responsible for providing secretarial, managerial and implementation support and carrying out other responsibilities as assigned by MeitY from time to time. Detailed constitution, functioning and responsibilities of the PMA will be elaborated in the Scheme Guidelines.

11.3. For carrying out activities related to the implementation of PLI Scheme, PMA would inter-alia be responsible for:

11.3.1. Appraisal of applications and verification of eligibility for support under the Scheme

11.3.2. Examination of claims eligible for disbursement of incentive under the Scheme

11.3.3. Compilation of data regarding progress and performance of the Scheme including Incremental Investment and Incremental Sales of Manufactured goods for companies under the Scheme.

12. **Empowered Committee (EC)**

12.1. An Empowered Committee (EC) including CEO NITI Aayog, Secretary Economic Affairs, Secretary Expenditure, Secretary MeitY, Secretary Revenue, Secretary DPIIT and DGFT will be formed.

12.2. The EC will consider applications, as found eligible by the Project Management Agency under the Scheme, for approval.

12.3. The EC will consider claims, as examined and recommended by the Project Management Agency, for disbursement as per the laid down procedure.

12.4. The EC will conduct a periodic review of eligible companies with respect to their investments, employment generation, production and value addition under the Scheme.

12.5. The EC may revise incentive rates, ceilings, target segments and eligibility criteria as deemed appropriate during the tenure of the Scheme.

12.6. The EC will also be authorized to carry out any amendments in the Scheme Guidelines.

12.7. Detailed constitution, functioning and responsibilities of the EC will be elaborated in the Scheme Guidelines.

SAURABH GAUR, Jt. Secy.

ANNEXURE A

Eligibility Threshold Criteria

Segment	**Proposed Incentive Rate**	**Incremental Investment over Base Year**	**Incremental Sales of Manufactured Goods over Base Year**
Mobile Phones (Invoice value of INR 15,000 and above) *	Year 1: 6% Year 2: 6% Year 3: 5% Year 4: 5% Year 5: 4%	INR 1,000 Crore over 4 Years Cumulative Minimum (Crore): Year 1: 250 Year 2: 500 Year 3: 750 Year 4: 1,000	Year 1: INR 4,000 Crore Year 2: INR 8,000 Crore Year 3: INR 15,000 Crore Year 4: INR 20,000 Crore Year 5: INR 25,000 Crore

Segment	Proposed Incentive Rate	Incremental Investment over Base Year	Incremental Sales of Manufactured Goods over Base Year
Mobile Phones (Domestic Companies) **		INR 200 Crore over 4 Years Cumulative Minimum (Crore): Year 1: 50 Year 2: 100 Year 3: 150 Year 4: 200	Year 1: INR 500 Crore Year 2: INR 1,000 Crore Year 3: INR 2,000 Crore Year 4: INR 3,500 Crore Year 5: INR 5,000 Crore
Specified Electronic Components (detailed in ***Annexure B***)		INR 100 Crore over 4 Years Cumulative Minimum (Crore): Year 1: 25 Year 2: 50 Year 3: 75 Year 4: 100	Year 1: INR 100 Crore Year 2: INR 200 Crore Year 3: INR 300 Crore Year 4: INR 450 Crore Year 5: INR 600 Crore

***For eligibility all Incremental Sales of Manufactured Goods (covered under target segments) irrespective of Invoice Value shall be considered.**

****Domestic Companies shall be defined as those which are owned by resident Indian citizens as defined in the FDI Policy Circular of 2017.** A company is considered as 'Owned' by resident Indian citizens if more than 50% of the capital in it is beneficially owned by resident Indian citizens and/or Indian companies, which are ultimately owned and controlled by resident Indian citizens.

ANNEXURE B

List of Specified Electronic Components eligible under PLI Scheme

Sl. No.	Description of Goods
1.	SMT components
2.	Discrete semiconductor devices including transistors, diodes, thyristors, etc.
3.	Passive components including resistors, capacitors, etc. for electronic applications
4.	Printed Circuit Boards (PCB), PCB laminates, prepregs, photopolymer films, PCB printing inks
5.	Sensors, transducers, actuators, crystals for electronic applications
6.	System in Package (SIP)
7.	Micro / Nano-electronic components such as Micro Electromechanical Systems (MEMS) and Nano Electromechanical Systems (NEMS)
8.	Assembly, Testing, Marking and Packaging (ATMP) units

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2020.04.01 18:15:11 +05'30'